राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

:: आ दे श ::

राजस्थान राज्य। बनाम् जयसिंह वगैरा।

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या- 1610/2000
अन्तर्गत अनुच्छेद 226, भारतीय संविधान.

आदेश दिनांक- दिसम्बर 21, 20006

उ प स्थि त

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री एम.एल. गोयल, अति. राजकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य।
श्री एस. एस. नरूका, अधिवक्ता वास्ते प्रतिपक्षी क्रम-1.

न्यायालय द्वारा-

(1) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने आदेश दिनांक- 14.9.1998 द्वारा अतिरिक्त जिलाधीश, अलवर द्वारा उसे प्रेषित किए गये रेफरेंस अन्तर्गत धारा- 82, राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम,1956 को निरस्त करते हुए अतिरिक्त जिलाधीश, अलवर को यह स्वतंत्रता प्रदान की है कि वह आदेश में की गई टिप्पणियों (Observations) को ध्यान में रखते हुए प्रकरण को पुन: परीक्षित कर सकेगा। उक्त आदेश को प्रार्थी राज्य सरकार ने इस रिट याचिका में चुनौती दी है।

(2) उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का गहनता पूर्वक परीक्षण किया गया।

(3) ऐसी स्थिति में जबकि आक्षेपित आदेश द्वारा राजस्व मण्डल ने अतिरिक्त जिलाधीश, अलवर को केवल यह स्वतंत्रता दी है कि वह प्रकरण को पुन: परीक्षित कर सकेगा। मैं आक्षेपित आदेश के सम्बन्ध में इस रिट याचिका में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता। इस रिट याचिका में कोई बल नहीं है।

(4) परिणामत: यह रिट याचिका निरस्त की जाती है। याचिका का व्यय पक्षकार स्वयं अपना-अपना वहन करेगें।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)